

Miscellaneous Case No – 23/2018

Dist. - Gaya

=====
Mining Officer, Gaya

Vs.

M/s-Westlink Trading Pvt. Ltd.
=====

आदेश

23.03.2018

C.W.J.C. No.-3587/2018 मे० वेस्टलिंग ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 19.03.18को पारित आदेश द्वारा इस वाद में दिनांक 13.03.18 के आदेश पर इस आधार पर स्थगन अधिरोपित किया गया है कि, खान आयुक्त द्वारा स्वतः पुनरीक्षण के अधिकार को मूल क्षेत्राधिकार की तरह उपयोग करते हुए उक्त आदेश पारित किया गया है जबकि बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के तहतसंदर्भित मामले मेंमूल प्राधिकार द्वारा कोई आदेश पारित ही नहीं किया गया है, इसलिए यह किसी आदेश का पुनरीक्षण नहीं होने के कारण न्यायादेश से इसे स्थगित कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017में खनन पट्टा निलंबित/रद्द करने की खान आयुक्त की शक्ति, मूल क्षेत्राधिकार में प्रावधानित है।परन्तु इस नियमावली पर C.W.J.C. No.-15965/2017 पुष्पा सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 27.11.2017 को स्थगनआदेश अधिरोपित है,जिससे बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 पुनः प्रवृत्त है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा भी SLP(C) No. 33129/2017 में दिनांक 15.12.2017 को पारित आदेश द्वारा पूर्व वर्णित माननीय उच्च न्यायलय के स्थगन आदेश को बरकरार रखा गया है। ध्यातव्य है कि प्रभावी नियमावली, 1972 में खान आयुक्त को खनन पट्टा निलंबित अथवा समाप्त करने का मूल क्षेत्राधिकार नहीं है।

अतः संदर्भित न्यायादेश के आलोक में इस वाद में तत्कालीन खान आयुक्त के आदेश को वापस लेते हुए, मामले को गुण-दोष पर विचार कर उचित निर्णय लेने का निदेश समाहर्ता, गया को दिया जाता है। समाहर्ता, गया सम्बंधित बन्दोबस्तधारी को नियमानुसार सुनकर गुण-दोष के आधार पर शीघ्र उचित निर्णय लेंगे।

ह०/—

(अतुल प्रसाद)

खान आयुक्त

बिहार, पटना

ज्ञापांक:—...../एम०, पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:—निदेशक, खान/समाहर्ता, गया/सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, गया/मेसर्स वेस्टलिंग ट्रेडिंग प्रा०लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:—.....1556...../एम०, पटना, दिनांक23.3.18.....

प्रतिलिपि:—श्री नरेश दीक्षित, विशेष लोक अभियोजक, खान को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि माननीय न्यायालय में दायर याचिका को निष्पादित कराया जाय।


सरकार के विशेष सचिव